

7— परियोजना / स्कीम का स्थान— (I) राज्य / संघ शासित क्षेत्र (II) जिला (III) वन प्रभाग (IV) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में) (V) वन की कानूनी स्थिति (VI) हरियाली का घनत्व (VII) प्रजाति—वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिणाम (संलग्न की जाए) सिचाईं / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ आर एल, एफ आर एल-2 मीटर पर परिणाम और एफ आर एल-4 मीटर भी संलग्न किए जाय)	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बरेली द्वारा जनपद हरदोई के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-731 के किमी0-119.540 से किमी0-121.860 (पुराना चैनेज-117.0 से 119.0) के मध्य 4 लेन पेड़ सोल्डर मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण से प्रभावित 1.2540 हैं संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। उत्तर प्रदेश। हरदोई। सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई। 1.2540 हैं। संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी) स्वामित्व—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 0.3 औसत प्रभावित 152 वृक्षों की प्रजातिवार, व्यासवार सूचना संलग्न है। भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है। शून्य नहीं नहीं नहीं हॉ प्रस्तावित वन भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है। नहीं।
8—प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	
9—क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं।	

10—प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा—

- (I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू—खण्ड का आकर।
 - (II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
 - (III) रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
 - (IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
 - (V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें)
- 11—जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)

12—विभाग/जिला प्रोफाइल

- (I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र
- (II) जिले का वन क्षेत्र
- (III) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र
- (IV) 1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
 - (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर
- (V) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
 - (क) वन भूमि पर
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर

13—प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

तिथि: 03-11-2022
स्थान—हरदोई

क्षतिपूरक वनीकरण वन प्रभाग, मिर्जापुर वन प्रभाग की विण्डमफाल रेज के अन्तर्गत दॉती क0न0—4 अवनत वन ब्लॉक में क्षेत्रफल (25.00 हेक्टेक्टर) वन खण्ड भूमि में रोपण कार्य प्रस्तावित है।

—

प्रस्ताव के पृष्ठ सं0—108 पर संलग्न है।

वन खण्ड वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन भूमि वर्ग की उपलब्धता के अनुसार, कार्यदायी संस्था—मीरजापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर अवधि—2023—24 से 2026—27 तक लागत रु0—43,13,315.0

रु0—43,13,315.0

—

—

598900 हेक्टेक्टर

11962.141 हेक्टेक्टर

स्वीकृत मामलों की संख्या—52 क्षेत्रफल—201.0076 हेक्टेक्टर।

1.0 हेक्टेक्टर

शून्य

388.047 हेक्टेक्टर

3283.544 हेक्टेक्टर।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों एवं उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत प्रस्ताव को स्वीकार करने की संस्तुति की जाती है।

(रविंद्र कर शुक्ल)

प्रभागीय निदेशक,

सा0 वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग,

हरदोई।

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग

हरदोई